UPEW010055312025

Presented on : 03-09-2025
Registered on : 03-09-2025
Decided on : 18-03-2026
Duration : 0 years, 6 months, 15 days

न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट संख्या–01, इटावा।

उपस्थित श्री अखिलेश कुमार..... एच०जे०एस०

JO CODE– UP6281

दण्ड निगरानी संख्या–181/2025

1. ध्यान सिंह,
2. अनिल कुमार पुत्रगण श्री महावीर सिंह,
   निवासी ग्राम कुशगंवा आहिरान, थाना बकेवर, जिला इटावा।

.....निगरानीकर्तागण

बनाम

1. उत्तर प्रदेश राज्य,
2. अमर सिंह पुत्र प्रताप सिंह,
   निवासी ग्राम कुशगंवा आहिरान, थाना बकेवर, जिला इटावा।

.....विपक्षीगण/रेस्पाडेंट्स

निर्णय

1– प्रस्तुत दाण्डिक निगरानी अंतर्गत धारा 438,440 बी०एन०एस०एस०, दण्डवाद सं०–465/2020, राज्य बनाम ध्यान सिंह आदि, थाना बकेवर, जनपद इटावा में विद्वान अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कोर्ट सं०–04, इटावा द्वारा पारित आदेश दिनांकित 04.07.2025 के विरूद्ध दाखिल की गयी है, जिसमें निगरानीकर्ता का उक्त दण्डवाद में प्रार्थनापत्र 16 ख, आरोप से उन्मोचित किये जाने हेतु, निरस्त किया गया है।

2– संक्षेप में निगरानी के तथ्य इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय का प्रश्नगत् आदेश विधि विरूद्ध है, निरस्त होने योग्य है। रिवीजनकर्ता ध्यान सिंह ने वादी मुकदमा अमर सिंह के पिता प्रताप सिंह से गाटा सं०–1205/1 रकवा 0.198 हे. मौजा कुशगवां आहिरान, परगना भरथना जिला इटावा से जरिए बैनामा दिनांक 05.03.2019 को क्रय की थी। उसी रंजिशन की वजह से दबाव बनाने की नीयत से फर्जी मुकदमा पंजीकृत कराया है। रिवीजनकर्तागण के राजीनामा न करने पर अमर

Digitally signed by AKHILESH KUMAR
Date: 2026.03.18 13:22:42 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

सिंह ने अपनी पुत्री के बेटे विकास यादव ने अपराध संख्या 520/2020, धारा 147,452,506 भा.दं.सं. थाना अछल्दा में पंजीकृत कराया था, जिसमें विवेचना दौरान मुकदमा फर्जी पाया गया और अंतिम रिपोर्ट लगा दी गई। वादी मुकदमा अमर सिंह के छोटे दामाद अनिल कुमार के माध्यम से भी अपराध संख्या 248/2020 थाना करवई, जिला महेवा में अन्तर्गत धारा 406,506 भा.दं.सं. में भी फर्जी घटना दिखाकर मुकदमा पंजीकृत कराया था और जिसमें विवेचना के दौरान फर्जी मुकदमा पाये जाने पर अंतिम रिपोर्ट लगी। वादी मुकदमा ने अपने छोटे दामाद अनिल कुमार से दिनांक 06.12.2020 समय करीब 9.30 बजे फर्जी घटना दिखाकर अपराध सं०–624/2020 धारा 452,323,504,506,427 भा.दं.सं. में थाना भरथना में मुकदमा पंजीकृत कराया था, जोकि माननीयय उच्च न्यायालय से स्टे है। एक अन्य फर्जी मुकदमा वादी मुकदमा ने थाना बिधूना में रिवीजनकर्ता आदि के विरूद्ध पंजीकृत कराया है। वादी मुकदमा व उसकी पुत्र एक आपराधिक प्रवृत्ति के शातिर किस्म के व्यक्ति है। उनके विरूद्ध अपराध सं०–104/1993, धारा 364,302,201 भा.दं.सं. थाना बकेवर व अपराध सं०–85/2007 धारा 323,325,506 भा.दं.सं. व 3(10)एस.सी./एस.टी. एक्ट अपराध सं०–563/2016, धारा 323,325,504 भा.दं.सं. थाना बकेवर में मुकदमा पंजीकृत हुआ व वादी के पुत्र रोहित व राहुल के विरूद्ध भी अपराध सं०–41/2018 धारा 323,504,506 भा.दं.सं. थाना बकेवर व अन्य मुकदमें पंजीकृत है। रिवीजनकर्तागण ने वादी मुकदमा की कभी भी कोई मारपीट नहीं की है और न ही किसी फसल का नुकसान किया है और न ही गाली गलौज की है। विवेचनाधिकारी से मिलकर गलत तरह से आरोपपत्र लगवाया है, जबकि रिवीजनकर्तागण इन लोगों की वजह से कानपुर में रह रहे है और अपना कारोबार कर रहे है। रिवीजनकर्तागण पर धारा 323,504,427,452 भा.दं.सं.का आरोप नहीं बनता है। उपरोक्त समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों के आधार पर मजिस्ट्रेट न्यायालय का आदेश दिनांक 04.07.2025 निरस्त कर, प्रस्तुत रिवीजन स्वीकार करने की याचना की गयी है।

3– रिवीजनकर्ता द्वारा अपने कथनों के समर्थन में आदेश दिनांकित 04.07.2025 की सत्यापित प्रति की छायाप्रति दाखिल की गयी है।

4– प्रस्तुत दाण्डिक निगरानी में रिवीजनकर्तागण के विद्वान अधिवक्ता एवं विपक्षी सं० 1 राज्य की ओर से सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (दाण्डिक) एवं विपक्षी के विद्वान अधिवक्ता को सुना गया व पत्रावली का सम्यक अवलोकन किया।

5– प्रस्तुत दाण्डिक निगरानी में रिवीजनकर्ता की ओर से विचारण न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांकित 04.07.2025 को निगरानी में अंकित आधारों पर प्रश्नगत करते हुए विचारण न्यायालय द्वारा पारित आदेश को अपास्त कर, निगरानी स्वीकार किये जाने की याचना की गयी है ।

6– राज्य की ओर से विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी द्वारा यह तर्क प्रस्तुत किया है कि विचारण न्यायालय द्वारा दिनांक 04.07.2025 को जो आदेश पारित किया है, वह तथ्य एवं पत्रावली पर उपलब्ध सामग्री का विधिनुसार परिशीलन करने के उपरांत पारित किया गया है। इसलिए वह उचित आदेश है, जिसमें हस्तक्षेप किये जाने का कोई आधार नहीं है। उक्त आधार पर निगरानी निरस्त किये

जाने की याचना की गयी है ।

7– उपरोक्त तर्कों के संबंध में मैंने पत्रावली का सम्यक अवलोकन किया ।

8– प्रस्तुत दाण्डिक निगरानी में निगरानी न्यायालय को यह तय करना है कि **क्या विचारण न्यायालय द्वारा प्रस्तुत मामले में दिनांक 04.07.2025 को निगरानीकर्ता का प्रार्थनापत्र 16 ख, आरोप से उन्मोचित किये जाने हेतु निरस्त करने में कोई विधिक त्रुटि, अनियमितता कारित की है?**

9– इस सम्बंध में मैंने विचारण न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांकित 04.07.2025 का परिशीलन किया।

10– पत्रावली पर उपलब्ध अवर न्यायालय के आदेश दिनांक 04.07.2025 के परिशीलन से यह विदित है कि निगरानीकर्तागण/अभियुक्तगण के विरूद्ध यह कथन किया गया है कि उन्होंने दिनांक 28.08.2020 को वादी मुकदमा की फसल को कीटनाशक दवा डालकर नष्ट किया तथा वादी मुकदमा उसकी पत्नी के साथ मारपीट की गयी व जान से मारने की धमकी दी गयी। उक्त मुकदमें में विवेचना के उपरांत निगरानीकर्ता/अभियुक्तगण के विरूद्ध विवेचक द्वारा साक्ष्य संकलित कर, आरोपपत्र धारा 323, 504, 506, 427, 452 भा.दं.सं. में प्रेषित किया है। उक्त आरोपपत्र पर न्यायालय द्वारा प्रसंज्ञान लिया गया है। प्रस्तुत निगरानीकर्ता द्वारा अवर न्यायालय के आदेश दिनांक 04.07.2025 को इस आधार पर चुनौती दी है कि वह वादी मुकदमा के कारण कानपुर में रह रहे हैं और अपना कारोबार कर रहे हैं, इसलिए उनके विरूद्ध कोई आरोप नहीं बनता है। इसके अतिरिक्त निगरानी में, निगरानीकर्ता द्वारा यह आधार लिया है, कि वादी मुकदमा की ओर से व उनके रिश्तेदार की ओर से पूर्व में निगरानीकर्तागण के विरूद्ध कई मुकदमें, कई जिलों में संस्थित किये गये है। जिनमें अंतिम आख्या प्रेषित की गयी है तथा एक मुकदमें में माननीय उच्च न्यायालय से कार्यवाही स्थगित की गयी है। यह भी आधार लिया है कि वादी मुकदमा व उनके पुत्रों का आपराधिक इतिहास रहा है। यहां पर यह उल्लेखनीय है कि वादी मुकदमा या उसके परिवारीजन का आपराधिक इतिहास होने मात्र के आधार पर यह नहीं कहा जा सकता कि निगरानीकर्तागण के विरूद्ध जो अभिकथन किये गये है, उनके आधार पर जिन धाराओं में आरोपपत्र प्रेषित किया गया है उक्त आरोप गठित नहीं होता। निगरानीकर्ता द्वारा जो आधार निगरानी में वादी मुकदमा के विरूद्ध आपराधिक इतिहास होना व अन्य आधार लिये है, उन्हें वह उचित अवसर आने पर विचारण के दौरान उठा सकते है, इस स्तर पर नहीं।

11. अभियुक्तगण/निगरानीकर्तागण के विरूद्ध आरोप विरचित किये जाने का आधार पर है अथवा नहीं यह बिंदु विवेचक द्वारा विवेचना के दौरान जो साक्ष्य संकलित की है, उसके आधार पर तय किया जाएगा। चूंकि विवेचक द्वारा विवेचना के दौरान साक्ष्य संकलित कर आरोपपत्र प्रेषित किया है। जिस पर न्यायालय द्वारा प्रसंज्ञान लिया गया है। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि न्यायालय के प्रसंज्ञान आदेश को निगरानीकर्ता द्वारा कही चुनौती नहीं दी है।

12. विचारण न्यायालय ने अपने आदेश में यह उल्लेख किया है कि निगरानीकर्तागण की ओर से विचारण न्यायालय के समक्ष प्रार्थनापत्र के समर्थन में जिस साक्षी के शपथपत्र दाखिल किया है, जिसे आरोपपत्र में साक्षीगण के रूप में

अंकित किया गया है। जिसकी अभी गवाही नहीं हुई है, उसे निगरानीकर्तागण/अभियुक्तगण अपने पक्ष में तब तक प्रस्तुत नहीं कर सकते, जब तक कि उक्त साक्षी को अभियोजन द्वारा उन्मोचित न कर दिया गया हो। इसलिए उक्त साक्षी का शपथपत्र इस स्तर पर प्रस्तुत किये जाने का कोई विधिक मूल्य व महत्व नहीं है, अर्थात् निरर्थक है।

13. आरोप विरचित किया जाना मजिस्ट्रेट/न्यायालय का विवेकाधिकार है। न्यायालय उक्त विवेकाधिकार का न्यायिक रूप से प्रयोग करते हुए पत्रावली पर उपलब्ध सामग्री पर विचार करने के उपरांत आरोप विरचित किये जाने के लिए समर्थ है। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि आरोप संदिग्ध साक्ष्य के आधार पर भी विरचित किया जा सकता है।

जहाँ तक प्रश्न अभियुक्त के विरुद्ध आरोप विरचित किये जाने का है, इस सम्बंध में माननीय उच्चतम न्यायालय व उच्च न्यायालय द्वारा अपने कई निर्णयों में स्पष्ट विधिक दिशा–निर्देश जारी किये हैं–

14. विधि–व्यवस्था महन्त **अभयदास बनाम गुरुदयाल सिंह AIR 1971 (SC) 834** में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अवधारित किया गया है कि–"यदि किसी प्रकरण में अभियुक्त के विरुद्ध प्रथम दृष्टया मामला बन रहा है तो ऐसे मामले में आरोप आवश्यक रूप से विरचित किया जाना चाहिए तथा ऐसी अवस्था में अभियुक्त को आरोप से उन्मोचित नहीं किया जा सकता है।"

15. माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा **ओंकारनाथ मिश्रा एवं अन्य बनाम राज्य, एन०सी०टी० दिल्ली एवं अन्य,** 2008 (1) SFC 55(SC) में यह अभिनिर्धारित किया गया है कि–"आरोप विरचित किये जाने के स्तर पर न्यायालय से अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री के प्रमाणिक मूल्य की गहन जाँच करना प्रत्याशित नहीं है।"

16. माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा **प्रभूनाथ यादव बनाम उ०प्र० राज्य, 2008(60) ACC 59 (इलाहाबाद)** में यह अभिनिर्धारत किया गया है कि–"आरोप मात्र सन्देह के आधार पर भी विरचित किया जा सकता है।"

17. माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा **कुंवर पाल एवं अन्य बनाम उ०प्र० राज्य, 2011(2) JIC 499 (इलाहाबाद)** में यह अभिनिर्धारित किया गया है कि–"आरोप के स्तर पर केवल प्रथम दृष्टया केस देखना चाहिए न कि इस स्तर पर साक्ष्य का सूक्ष्मता से मूल्यांकन किया जाना चाहिए।"

18. माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा **नितिन शर्मा एवं अन्य बनाम उ०प्र० राज्य, 2011(2) JIC 702 (इलाहाबाद)** में यह अभिनिर्धारित किया गया है कि–"आरोप के स्तर पर सूक्ष्म अवलोकन की आवश्यकता नहीं है।"

19. माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा **State of Tamilnadu, Represented by the inspector of Police Vigilance and Anti corruption vs. N. Suresh Rajan (In ACB case) 2014(11) SCC 709** में भी यह अवधारित किया गया है कि At the stage of consideration of an application for dischage, Court has to proceed with an assumption that the materials brought on record by prosecution are true and to evaluate the said

materials and documents with aview to find out whether the facts emerging there from taken at their face value disclose the existence of all the ingredients constituting the offence.

20– उपरोक्त विधि व्यवस्थाओं के प्रकाश में पत्रावली पर निगरानीकर्तागण/अभियुक्तगण के विरुद्ध आरोप विरचित किये जाने हेतु पर्याप्त सामग्री व साक्ष्य उपलब्ध है। इसलिए निगरानीकर्तागण/अभियुक्तगण की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 16ख बाबत उन्मोचन, विचारण न्यायालय द्वारा निरस्त करने में कोई विधिक त्रुटि, अनियमितता व क्षेत्राधिकार संबंधी भूल कारित नहीं की है। इसलिए दण्ड निगरानी बलहीन होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है एवं विचारण न्यायालय का आदेश पुष्ट किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

दाण्डिक निगरानी 181/2025, ध्यान सिंह आदि बनाम उ0प्र0 राज्य आदि बलहीन होने के कारण निरस्त की जाती है। विचारण न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांकित 04.07.2025 पुष्ट किया जाता है। दाण्डिक निगरानी पत्रावली नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय की प्रति, आवश्यक कार्यवाही हेतु विचारण न्यायालय को अविलम्ब प्रेषित की जाए।

दिनांक 18.03.2026

(अखिलेश कुमार)
अपर सत्र न्यायाधीश
कोर्ट नं0–1, इटावा।

निर्णय आज खुले न्यायालय में मेरे द्वारा हस्ताक्षरित एवं दिनांकित किया जाकर उदघोषित किया गया।

दिनांक 18.03.2026

(अखिलेश कुमार)
अपर सत्र न्यायाधीश
कोर्ट नं0–1, इटावा।
JO CODE– UP6281